राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309 Email- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :– एफ4 (ई)(1) (6) अलेसे III/181 दिनांक :– 8-2-18

आदेश संख्या : 340/2017-18

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा 2013 में सफल घोषित होने एवं आयोग द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंषा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नाकित अभ्यर्थियो को एतद्द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (कनिष्ठ लेखाकार) के रूप मे उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे निम्नाकिंत तालिका में उनके समक्ष अंकित विभाग/कार्यालय मे आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग को Email-jacct.dta@rajasthan.gov.inपर आवश्यक रूप से सूचित करे।

क्र. सं.	नाम (सर्वश्री) पिता का नाम रोल नं.– मेरिट क्रंमाक/वर्ष	जन्मतिथि श्रेणी	पदस्थापन कार्यालय	अभ्यर्थी का फोटो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JYOTI CHOUDHARY SURENDRA KUMAR CHOUDHARY 838297-M-2425/2013	29-SEP-91 BC, WE	SUB TREASURY OFFICER (INDEPENDENT) (4079) , TREASURIES AND ACCOUNTS , ABU ROAD , SIROHI	
2.	POOJA JANGID KAILASH CHANDRA JANGID 884845, 2293/2013	22-JAN-89 OBC, WE	EXECUTIVE DIRECTOR (1000380) , RSWC (EX CADRE POSTS) , JAIPUR , JAIPUR	

उपरोक्त अभ्यर्थियो को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नाकिंत शर्तो के अध्यधीन दी जा रही है:–

1. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणर्थियो को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प01(2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं F-14(1)FD/RULES/2013PT दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
   राज्य सेवा मे कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवा नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।

2. राज्य सरकार के परिपत्र पं. 13(1) वित्त/नियम 2003 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होगें। राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेशन योजना लागू होगी। यह नियुक्ति चरित्र एवं आचरण ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं आचरण के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाणपत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगें।
3. कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र–ए में शपथ पत्र 50 रुपयें के नॉन ज्यूडिशियल ई–स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
4. उपरोक्त अभ्यार्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा/सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।

   दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि सन्तोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना एफ14(1) वित्त/नियम/2013–II दिनांक 28.06.2013 के तहत कनिष्ठ लेखाकार की वेतन श्रंखला पे–बैण्ड (2) 9300–34800 ग्रेड–पे 3600 एवं नियमानुसार देय भतों पर किया जायेगा।

   परिवीक्षा काल में इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नही होगें।
5. यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, राजस्थान सेवा नियमएवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
6. अभ्यर्थियो को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
7. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल मे विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नही करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती हैं। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुतीर्ण होने पर इन्हे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
8. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I में आने वाले मामलो को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा।
9. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नही पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमे एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नही है तो सरकार इन्हे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
10. उक्त नियुक्तियों माननीय सर्वोचय न्यायालय मे सिविल अपील संख्या 1464–66/2017 कैप्टन गुरूविन्दर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय के अधीन रहेगी एवं एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8695/2017 दिपेन्द्र सांवल व अन्य बनाम राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06.2017 तथा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8890/2017 हेमन्त कुमार खान्डल बनाम आर.पी.एस.सी. व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06. 2017 एवं एस.बी. सिवील रिट रिव्यू पिटिशन 373–378/2017 के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन तथा उक्त पदो एवं इस परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर एवं अन्य न्यायलयो में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
11. यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में दी गई परिलब्धिया एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दो गुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा। अभ्यर्थी विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र प्रशिक्षण से पूर्व निष्पादित करेगे।

12. उपरोक्त अभ्यर्थी आदेश की पालना में नवनियुक्त विभाग/कार्यालय में निश्चित तिथि तक कार्यग्रहण नही करतें है और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :– एफ4 (ई)(1) (6) अलेसे III/181 दिनांक :– 8-2-18

प्रतिलिपि निमांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष ....को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिती प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियो से संतोषजनक स्वास्थय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिती स्वीकार कर कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करावे ।
5. संबंधित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. श्री/श्रीमती/सुश्री..................................
7. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक ।
8. उपनिदेशक (एसीपी) कोष एवं लेखा जयपुर को कम्प्यूटर पर अपलोड करने एवं पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
9. रक्षित /निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)